"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर 2017—— कार्तिक 30, शक 1939

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ- 9-34/2014/त.शि./42. —— छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर करती है, अर्थात् :-

1.	श्री अनिल कुमार शुक्ला, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर	-	अध्यक्ष
2.	श्री विवेक आचार्य, संचालक तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य (तकनीकी शिक्षा)
3.	डॉ. ए. के. चन्द्राकर, संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन	-	सदस्य (चिकित्सा शिक्षा)
4.	श्री आनंद मोहन ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर	-	सदस्य (विधि)
5.	श्री सिद्धार्थ पारख, चार्टर्ड अकाउन्टेंट 34, रविनगर केनल लिंकिंग रोड रायपुर छ.ग.	-	सदस्य (वित्त)

No. F- 9-34/2014/T.E./42.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Niji Vyavasayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008), the State Government, hereby, constitutes the Admission and Fee Regulatory Committee, consisting of the following members, namely :-

1.	Shri Anil Kumar Shukla, Hon'ble Justice (Retired), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur	-	Chairperson
2.	Shri Vivek Achaya, Director, Technical Education Govt. of Chhattisgarh	-	Member (Technical Education)
3.	Dr. A. K. Chandrakar, Director, Medical Education Govt. of Chhattisgarh	-	Member (Medical Education)
4.	Shri Anand Mohan Thakur, Government Pleader, Chhattisgarh, Raipur	-	Member (Law)
5.	Shri Siddharth Parakh, Chartered Accountant 34, Ravi Nagar, Canal Linking Road, Raipur C.G.	-	Member (Finance)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.